न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 254 / 2025

1. श्री जगदीश
2. श्री रामप्रसाद
   पुत्रगण मलचन्द, जाति जाट, निवासीगण ग्राम चारावास, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।

——आवेदक

बनाम

1. पूनम पुत्री ओमप्रकाश
2. मुन्नी पुत्री ओमप्रकाश
3. ममता पुत्री ओमप्रकाश
4. रजनीश पुत्र ओमप्रकाश
5. हरबाई स्त्री देवकरण
6. मोहर सिंह पुत्र देवकरण
   जाति जाट, निवासीगण ग्राम चारावास, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।
7. तहसीलदार, गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।
8. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा खेतडी जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा नंगली सलेदी सिंह जरिये शाखा प्रबन्धक।

——अनावेदक

——

Application for Review of Judgement dated 04.06.2025 under order 47 Rule 1 the code of civil procedure 1908 मुकदमा उनवानी पूनम बनाम जगदीश मु0नं0 109 / 2015

——

उपस्थितः—

1. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट— प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अभिषेक सिंह, एडवोकेट — अप्रार्थी संख्या 4 व 6 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अप्रार्थी सं0 7 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3, 5, 8 व 9 बावजूद तामील अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 30.03.2026

प्रार्थी के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजूदा अपील आपसी सहमति से विभाजन आदेश दिनांक 19.01.2007 के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की। माननीय न्यायालय ने उक्त अपील में दिनांक 04.06.2025 को निर्णय पारित कर पत्रावली को रिमाण्ड कर दिया जिस आलौच्य निर्णय के विरुद्ध मौजूदा रिव्यू प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश है कि अपील में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2025 विरुद्ध कानून होने से रिव्यू होने योग्य है। उक्त पत्रावली का अभिलेख देखने मात्र से प्रकट होता है कि आलौच्य निर्णय पारित करने में भूल या गलती हुई है। माननीय न्यायालय ने AIR-2006 (SC) page 2628 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का सम्मानजनक अध्ययन नहीं किया। उक्त नजीर में स्पष्ट लिखा है कि आपसी सहमति से पारित निर्णय व डिक्री की अपील पोषणीय नहीं है। प्रभावित पक्षकार को उसी न्यायालय में अप्रोच कर कपट के तथ्य बताने चाहिए जिस न्यायालय ने आपसी सहमति से निर्णय व डिक्री पारित की है। माननीय न्यायालय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त उक्त प्रकरण में कैसे लागू नहीं होते ऐसा स्पष्ट कारण आलौच्य निर्णय में नहीं लिखा। अपीलान्ट ने अपील में विभाजन प्रस्ताव पर फर्जी अंगूठा निशानी व कूटरचित हस्ताक्षर के आधार पर आपसी सहमति से विभाजन आदेश को

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

चेलेन्ज किया है जिस बाबत माननीय न्यायालय ने निर्णय में लिखा है कि अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर फर्जी है या नहीं यह तय करना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय ने आलौच्य निर्णय में लिखा है कि "जब कोई पक्ष किसी प्रकरण में सुनवाई से वंचित रहा हो उसको सुनवाई का एक अवसर देना चाहिए।" सुनवाई का अवसर देना व हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी वैद्य है या नहीं यह तय करना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं उक्त दोनों तथ्य एक दूसरे के विपरीत है। उपरोक्त कारण से AIR-2006 (SC) page 2628 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त चस्पा होता है। इस कारण दिनांक 04.06.2025 को रिव्यू कर अपील पोषणीय नहीं होने बाबत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि अपील नम्बर 109/2025 उनवानी पूनम बनाम जगदीश में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2025 रिव्यू किया जाकर अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक आवेदक ने बहस के दौरान नजीर ए.आई.आर. 2628 एस.सी. की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन है कि कि मौजूदा अपील आपसी सहमति से विभाजन आदेश दिनांक 19.01.2007 के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की। माननीय न्यायालय ने उक्त अपील में दिनांक 04.06.2025 को निर्णय पारित कर पत्रावली को रिमाण्ड कर दिया जिस आलौच्य निर्णय के विरुद्ध मौजूदा रिव्यू प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश है कि अपील में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2025 विरुद्ध कानून होने से रिव्यू होने योग्य है। उक्त पत्रावली का अभिलेख देखने मात्र से प्रकट होता है कि आलौच्य निर्णय पारित करने में भूल या गलती हुई है। माननीय न्यायालय ने AIR-2006 (SC) page 2628 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का सम्मानजनक अध्ययन नहीं किया। उक्त नजीर में स्पष्ट लिखा है कि आपसी सहमति से पारित निर्णय व डिक्री की अपील पोषणीय नहीं है। प्रभावित पक्षकार को उसी न्यायालय में अप्रोच कर कपट के तथ्य बताने चाहिए जिस न्यायालय ने आपसी सहमति से निर्णय व डिक्री पारित की है। माननीय न्यायालय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त उक्त प्रकरण में कैसे लागू नहीं होते ऐसा स्पष्ट कारण आलौच्य निर्णय में नहीं लिखा। अपीलान्ट ने अपील में विभाजन प्रस्ताव पर फर्जी अंगूठा निशानी व कूटरचित हस्ताक्षर के आधार पर आपसी सहमति से विभाजन आदेश को चेलेन्ज किया है जिस बाबत माननीय न्यायालय ने निर्णय में लिखा है कि अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर फर्जी है या नहीं यह तय करना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय ने आलौच्य निर्णय में लिखा है कि "जब कोई पक्ष किसी प्रकरण में सुनवाई से वंचित रहा हो उसको सुनवाई का एक अवसर देना चाहिए।" सुनवाई का अवसर देना व हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी वैद्य है या नहीं यह तय करना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं उक्त दोनों तथ्य एक दूसरे के विपरीत है। उपरोक्त कारण से AIR-2006 (SC) page 2628 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त चस्पा होता है। इस कारण दिनांक 04.06.2025 को रिव्यू कर अपील पोषणीय नहीं होने बाबत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि अपील नम्बर 109/2025 उनवानी पूनम बनाम जगदीश में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2025 रिव्यू किया जाकर अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 4 व 6 ने बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क दिया कि रिव्यू प्रार्थना पत्र धारा 47(1) में लिमिटेड स्कोप है जिसमें किसी प्रकार की कोई लिपिकिय त्रुटि नजर आये उसे दुरूस्त किया जा सकता है। निर्णय को बदला नहीं जा सकता है। वकील प्रार्थी द्वारा जो नजीर आज पेश की है उस पर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। यदि निर्णय के विरूद्ध अपील में जाना चाहिए था। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र परेशान करने की मंशा से पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कोस्ट के साथ खारिज किया जावें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

विद्वान राजकीय अधिवक्ता अनावेदक संख्या 7 ने वकील आवेदक के तर्को का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश किया है। रिव्यु प्रार्थना पत्र के द्वारा निर्णय को बदला नहीं जा सकता है। लिपिकिय भूल को दुरूस्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों तथा नजीर का भी अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रिव्यु प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 04.06.2025 को निरस्त करने की इस्तदुआ चाही है। रिव्यु प्रार्थना पत्र के द्वारा निर्णय को बदला जाना न्यायालय की दृष्टि में उचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर अपील के संबंध में है जो इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। प्रार्थी उक्त निर्णय दिनांक 04.06.2025 के विरूद्ध अपील करनी चाहिए थी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं